न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 11/2020

उनवान

सुगरा पत्नी सुल्तान जाति चीता निवासी ग्राम खापरी, नसीराबाद
–– प्रार्थीया :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद
–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 30.12.20

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1054 रकबा 0.21, 1064/1171 रकबा 0.03, की आराजी प्रार्थीया की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थीया काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थीया के खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता विधमान नही है। प्रार्थीया कृषि कार्य हेतु अपने खेतो पर आवागमन हेतु सिवायचक खसरा नम्बर 1056 में से आवागमन करती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीया के खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु अन्य कोई रस्ता विधमान नही है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 1 में दर्शायी प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु ग्राम भवानीखेडा के सिवायचक खसरा नम्बर 1056 में से 15 फिट चौडा रास्ता दिलवाने की कृपा करावे। एवं उक्त रास्तें का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करवाये जाने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की।

प्रकरण विचारण के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि पूर्व में सहवन से सिवायचक खसरा नम्बर 1056 में से 15 फिट चौडा रास्ता दिलवाने हेतु निवेदन किया था किन्तु प्रार्थी को उक्त खसरा नम्बर में से 30 फिट चौडे रास्ते की आवश्यकता है अतः प्रार्थी को सिवायचक खसरा नम्बर 1056 में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाने की कृपा करावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1054 रकबा 0.21, 1064/1171 रकबा 0.03, की आराजी प्रार्थीया की खातेदारी है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थीया सिवायचक खसरा नम्बर 1056 में से मार्ग का अनुतोष प्राप्त करना चाहती है। तहसीलदार नसीराबाद की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1056 वर्तमान में मौके पर पडत होने से इस भूमि का उपयोग आवागमन हेतु किया जा रहा है। प्रस्तावित मार्ग हेतु 72 मीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 18:47:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

...तथा 9 मीटर चौडा कुल 648 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। जिसकी डी0एल0सी0 ...से राशि 33660/ प्रति बीघा की दर से 13633/ है। उक्त मार्ग हेतु किसी अन्य खातेदार की भूमि नही ली जानी है। वांछित मार्ग की आत्यंतिक आवश्यकता है।

मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया के पास कोई रास्ता उपलब्ध नही है। चाहे गये मार्ग की आंत्यंतिक आवश्यकता सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया के तथ्यों की ताईद होती है।

उक्तानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र **''स्वीकार''** किया जाता है। ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1056 में से 72 मीटर गुणा 9 मीटर कुल 648 वर्ग मीटर आराजी सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त भूमि की डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 27266/ अक्षरे सताईस हजार दो सौ छियासठ रूपये प्रार्थीया द्वारा राजकोष में जमा करने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:47:17 IST
Reason: SelfAttested